अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 15/2011

सरकार (मार्फत अनु0 पदा0, मढौरा,सारण।)

बनाम

कमला शर्मा एवं अन्य

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
15.09.15	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढौरा के पत्रांक 199, दिनांक 14.08.2011 के द्वारा प्रेषित मढौरा थाना कांड संख्या 172/11,दिनांक 08.08.11 में जप्त अवैध गैस सिलेण्डर के अधिग्रहण के प्रस्ताव के आलोक में यह अधिग्रहण वाद प्रारंभ हुआ। इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.11 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को प्राधिकृत करते हुए निर्देश दिया गया कि वे जप्त गैस सिलेण्डर को एर्जेसी के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित दर पर विक्री कराकर विक्रय राशि को जिला कोषागार के उचित शीर्ष में जमा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा के पत्रांक 1595, दिनांक 25.08.2015 के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। पूर्व में विपक्षी के द्वारा अपना जवाब दाखिल किया जा चुका है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 01.06.15 को मढौरा थाना कांड सं0 172/2011 से संबंधित विचारण वाद संख्या 1825/13 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.13 की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार विपक्षी अवधेश शर्मा को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। आज दिनांक 15.09.2015 को विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी से संबंधित विचारण वाद का माननीय न्यायालय के द्वारा निष्पादन कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा से अनुपालन प्रतिवेदन	

भी प्राप्त है। जप्त गैस सिलेण्डर की विक्रय राशि को विमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7 ई0सी,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के विरूद्ध वाद का निष्पादन माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा चुका है। अतः जप्त सामग्री की विकी राशि की विमुक्ति के बिन्दू पर आदेश दिया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि चूंकि विपक्षी के विरूद्ध मढौरा थाना कांड सं0 172/2011 से संबंधित विचारण वाद संख्या 1825/13 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.13 के द्वारा विपक्षी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निर्देश है कि वे अपने पत्रांक 1595, दिनांक 25.08.2015 में अंकित विक्रय राशि विहित प्रक्रिया के तहत् विपक्षी को उचित पहचान पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित
15/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/09/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 4745 /न्या0,दिनांक 24/9/15 /

प्रतिलिपिः-अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0ई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/9/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

17/9/15

15-11 Kamla sharma